FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

जिला कलक्टर, बाड़मेर

अपीलार्थी बाबूलाल भादू पुत्र पांचाराम .... **मुकाम** .... बाड़मेर

उत्तरदाता– अतिरिक्त जिला कलक्टर, बाड़मेर

.... **बनाम** 2023

कस्म मुकदमा प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम .... **नं.** .... **सन्** ....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
29.08.2023	अपीलार्थी बाबूलाल भादू पुत्र पांचाराम निवासी सरस्वती नगर, कितनोरिया, चौहटन, जिला बाड़मेर ने यह प्रथम अपील उत्तरदाता अतिरिक्त जिला कलक्टर, बाड़मेर के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 19(1) के अन्तर्गत इस कार्यालय में दिनांक 29.08.2023 को प्रस्तुत की गई है। अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ राज्य लोक सूचना अधिकारी के समक्ष प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर उनके कार्यालय से सम्बन्धित सूचना चाही गई। राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा वांछित सम्पूर्ण सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है, फलस्वरूप यह प्रथम अपील प्रस्तुत की गई है। अपील के संलग्न राज्य लोक सूचना अधिकारी को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की प्रति एवं शुल्क रूपये 10/– का पोस्टल ऑर्डर संख्या ऑनलाईन अपील संख्या 350417883657861 दिनांक 26.08.2023 का प्रतिपर्ण संलग्न किया गया है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील राज्य लोक सूचना अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के निस्तारण की निर्धारित अवधि 30 दिवस से पूर्व प्रस्तुत की गई है जो प्री–मैच्योर है। फलतः यह अपील प्री–मैच्योर होने से श्रवणार्थ विचार योग्य प्रतीत नहीं होती है। अतः अपीलांट की यह अपील सारहीन एवं प्री–मैच्योर होने से खारिज की जाती है। पत्रावली निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम हों व दाखिल दफ्तर हो। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं अधीनस्थ राज्य लोक सूचना अधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित हो। जिला कलक्टर बाड़मेर	